कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित्
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) दूरभाष (0771) 2513100
E-mail: mfpfed.cg@nic.in; Website: www.cgmfpfed.org

नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित् नवा रायपुर अटल नगर में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना है । अतः प्रबंधक (लेखा), उप-प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण) प्रोग्रामर, कर सहायक के रिक्त नियमित पदों तथा आयुर्वेद चिकित्सक के संविदा पद पर भर्ती किया जाना है । अतः निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 06.02.2021 (शनिवार) तक स्पीड/रजिस्टर्ड डाक से आमंत्रित किये जाते है ।

रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	संवर्ग	वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	प्रबंधक (लेखा)	01	01 अनारक्षित	15600-39100 (लेवल-13)	1. चार्टर्ड एकाउन्टेंट परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI का सदस्य होना अनिवार्य है ।
2	उप-प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	01	01 अनारक्षित	15600-39100 (लेवल-12)	चार्टर्ड एकाउन्टेंट/आई.सी.डब्ल्यू.ए. उत्तीर्ण
3	प्रोग्रामर	01	01 अनारक्षित	15600-39100 (लेवल-12)	कम्प्यूटर सांईस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक (बी.ई. कम्प्यूटर सांईस) **या** कम्प्यूटर उपयोजन में प्रथम श्रेणी में स्नात्तकोत्तर उपाधि (एम.सी.ए.)
4	कर सहायक	01	01 अनारक्षित	5200-20200 (लेवल-7)	एम.काम. में 60% अंक से उत्तीर्ण ।
5	आयुर्वेदिक चिकित्सक (संविदा)	01	01 अनारक्षित	40000/- एकमुश्त मासिक वेतन	1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि, इन्टर्नशिप सहित । 2. विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेद मंडल में पंजीकृत ।

टीपः-

1. यह विज्ञापन छ.ग राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर में लागू कर्मचारी, भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवाशर्त नियम 1994 के अनरूप प्रकाशित किया जा रहा है ।
2. उक्त विज्ञाप्ति पदों पर नियुक्ति से संबंधित जानकारियां कार्यालय के वेबसाइट "www.cgmfpfed.org" में प्रदर्शित की जायेगी तथा पृथक से पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी । अतः वेबसाईट का निरंतर समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
3. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । ई-मेल से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

प्रबंध संचालक

नियुक्ति हेतु नियम शर्तें एवं चयन प्रक्रिया

1. आवेदन का तरीका नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्टर्ड ए.डी. से / स्पीड पोस्ट से दिनांक 06.02.2021 दिन शनिवार सायं 5 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें । व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा ।

2. आवेदन शुल्क **आवेदन शुल्क** - विज्ञापित समस्त पदों हेतु आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) अनारक्षित वर्ग - 400/-

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग - 300/-

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग - 200/-

उक्त निर्धारित शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "प्रबंध संचालक, छ.ग राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर" के नाम से देय होगा, जो रायपुर में भुगतान योग्य (Payable at Raipur) होगा ।

3.पात्रता की शर्तें

(i) आवेदन पत्र संघ के वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रविष्टियां सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

(ii) प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार से देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा । गलत जाति प्रमाण पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति संबंधी गलत जानकारी भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी संघ चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा ।

(iii) आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं । मूल निवासी प्रमाण-पत्र की राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

(iv) रोजगार कार्यालय में उनका विज्ञापन पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है ।

(v) पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

4.आयु सीमा (अ) आवेदक की 01.01.2021 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष । छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र.-एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों में निर्धारित अधिकतम आयु 35 वर्षो में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है ।

(ब) निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट मिलेगी:-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल/संघ के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी ।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट ।

(iii) अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट ।

(iv) आदिम जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जाजीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पती के सवर्ण पार्टनर को 05 वर्ष ।

(v) महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट ।

(vi) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त उम्मीदवार तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा उम्मीदवारों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(vii) ऐसा उम्मीदवार जो - छंटनी किया गया शासकीय सेवक या संघ का सेवक हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(viii) शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है । (अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विधवा/ परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होगें ।

(ix) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है ।

(x) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित ऐसा उम्मीदवार जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी ।

(महत्वपूर्ण टीपः- सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।)

5. नियुक्ति हेतु अपात्रता	(i)	कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हों, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी । परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने से विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस कस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा । कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तक तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने में किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाय । परन्तु अपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया हो तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
	(ii)	कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद जैसे कि आवश्यक समझी जाय, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाय कि व सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा ।
	(iii)	कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा । परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा ।
	(iv)	कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

6.चयन प्रक्रिया

(i) योग्य उम्मीदवारों का चयन विभागीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा ।

(ii) पदवार चयन प्रक्रिया का विवरण ।

1.	प्रबंधक (लेखा)	(i) चार्टर्ड एकाउटेंट की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी । (ii) उपरोक्तानुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर 06 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा (iii) चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों के लिये तथा 15% अंक साक्षात्कार के लिये निर्धारित होगें । (iv) उपरोक्तानुसार प्राप्त अंको के योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी । सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा जो जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये वैध होगा ।

2.	उप-प्रबंधक	(i) चार्टर्ड एकाउटेंट एवं एवं आई.सी.डब्ल्यू.ए. की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर पृथक-पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी । (ii) उपरोक्तानुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर चार्टर्ड एकाउटेंट मे से 03 तथा आई.सी.डब्ल्यू.ए. में से 03, कुल 06 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा । (iii) चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों के लिये तथा 15% अंक साक्षात्कार के लिये निर्धारित होगें । (iv) उपरोक्तानुसार प्राप्त अंको के योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी । सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा जो जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये वैध होगा ।
3.	प्रोग्रामर	(i) कम्प्यूटर साईंस में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.सी.ए. की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर पृथक-पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी । (ii) कम्प्यूटर साईंस में बी.ई./बी.टेक. से 03 तथा एम. सी.ए. से 03 कुल 06 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा । (iii)चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों के लिये तथा 15% अंक साक्षात्कार के लिये निर्धारित होगें । (iv) उपरोक्तानुसार प्राप्त अंको के योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी । सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा जो जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये वैध होगा ।
4.	कर सहायक	(i) एम.कॉम. की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी । (ii) उपरोक्तानुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर 06 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा (iii) चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों के लिये तथा 15% अंक साक्षात्कार के लिये निर्धारित होगें । (iv) उपरोक्तानुसार प्राप्त अंको के योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी । सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा जो जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये वैध होगा ।

5.	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	(i) बी.ए.एम.एस. की अंतिम परीक्षा प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी । (ii) उपरोक्तानुसार तैयार मेरिट सूची के आधार पर 06 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा । (iii) चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे 85% अंक शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों के लिये तथा 15% अंक साक्षात्कार के लिये निर्धारित होगें । (iv) उपरोक्तानुसार प्राप्त अंको के योग के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी । सूची अनुसार प्रथम अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर एक अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा जो जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये वैध होगा ।

(v) उपरोक्तानुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया में किसी भी पद हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जायेगी, तथा अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जायेगी ।

(vi) चयनित अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा :-

(i) प्रथम वर्ष - उस पद वे वेतनमान के न्यूनतम का 70%

(ii) द्वितीय वर्ष - उस पद वे वेतनमान के न्यूनतम का 80%

(iii) तृतीय वर्ष - उस पद वे वेतनमान के न्यूनतम का 90%

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह ही प्राप्त होंगे । परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, जब कर्मी का वेतन उस सेवा या पद पर लागू वेतनमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा ।

(vii) अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत बुलाने का यह तात्पर्य नहीं होगा कि उनका चयन हो गया है ।

(viii) नियुक्ति के संबध में विस्तृत निर्देश संघ के वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है । इस हेतु किसी भी आवेदक को पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

(ix) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को होगा ।

(x) चयनित उम्मीदवार को चयन उपरांत/कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(xi) यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

7. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र

यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्राप्त करने हेतु आवेदन कर पावती प्राप्त कर इसे सुरक्षित रखना चाहिए ।

8. आवेदक हेतु अन्य निर्देश

(i) छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

(ii) अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

(iii) आवेदन करने के अंतिम तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है। आवदेन भरने के संबंध मे आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में आवेदक के द्वारा जन्म तिथि, वर्ग, विषय आदि संशोधन मान्य नहीं होगा ।

(iv) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(v) कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों,और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(vi) आवेदक जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या दोष सिद्ध ठहराया गया हो,नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(vii) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो,जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरार्हित नही होगा।

(viii) रिक्त पद, निर्धारित अर्हता, चयन प्रकिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संघ को वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर उपलब्ध कराई जाएगी । इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नही किया जावेगा । अतः आवेदक www.cgmfpfed.org का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

(ix) आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर आवेदन पत्र भरे। चयन प्रक्रिया के भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नही दी जावेगी।

(x) विज्ञापन में तथ्यात्मक/ लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाईट www.cgmfpfed.org में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रकिया अप्रभावित रहेगी।इसके संबंध मे कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा ।

(xi) चयन के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(xii) यदि आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहतें हो तो उन्हें प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(xiii) चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी जो कि आदेश दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध रहेगी ।

(xiv) उक्त प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष तक संघ में समान पदों की रिक्तियां उद्भूत होने पर उनकी पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी ।

(xv) ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर किसी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक्‍ किया गया हो तो वह चयन के लिये पात्र नही होंगे ।

(xvi) किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है। तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है ।

(xvii) चयन हेतु आवेदक की पात्रता/अपात्रता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर को होगा ।

9.मूल दस्तावेज सत्यापन

आवेदक को साक्षात्कार के पूर्व संघ मुख्यालय में मूल दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेजों में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक साक्षात्कार हेतु पात्र होगा । त्रुटिपूर्ण जानकारी/वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में साक्षात्कार से वंचित किया जायेगा । इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नानुसार मूल दस्तावेजों के साथ 2 सेट में सत्यापित फोटो प्रतियां तथा 01 पासपोर्ट साईज का फोटो भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ।

(i) हाईस्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
(ii) आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं हायर सेकेण्डरी की अंकसूची की मूल प्रति।
(iii) जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति ।
(iv) मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
(v) रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
(vi) जन्मतिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

(vii) फोटो युक्त पहचान पत्र (ड्रायविंग लायसेन्स, आधार कार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड) तथा पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटोग्राफ ।

(viii) अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति ।

प्रबंध संचालक